न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

पीठासीन अधिकारी : आर. के. मीना, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 38/2019 **FSSA**

1. सरकार जरिये श्री महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी खाद्य सुरक्षा अधिकारी
   कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा । — आवेदक—

बनाम

1. श्री मुरारी लाल पुत्र श्री श्योदान सैनी अग्रवाल
   एफबीओ मैसर्सः— सावन किराना स्टोर, मेन बाजार, बहरावण्डा, तहसील सिकराय जिला दौसा।
2. श्रीमति अनिता सैनी पत्नि विनोद कुमार सैनी
   एफबीओ मैसर्सः—करमा ट्रेंडिंग कम्पनी, जडाव फाटक के पास, भालका का बास दौसा।
3. श्री रामप्रकाश गोयल पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण गोयल
   एफबीओ मैसर्सः— गोयल मसाला उद्योग, जी—1/17, रिको इण्डस्ट्रीयल एरिया, खैरथल जिला अलवर।

— अभियुक्तगण—

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 एफएसएस एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011

उपस्थिति : खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।

: श्री दुर्गाप्रसाद सैनी अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्त 1 व 2 उपस्थित।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

—: आदेश :— दिनांकः— 27.07.2022

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के कार्यालय में कार्य सम्पादन कर रहा है। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना (नोटिफिकेशन) कमांक एच/पीएफए/ नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 26.07.11 के अनुसार आवेदक को खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है तथा श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश कमांक 475 दिनांक 10.08.2011 के **द्वारा आवेदक को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय** क्षेत्र जिला दौसा आवंटित किया गया है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 15.2.2019 को सायं 06:10 बजे मैसर्सः—सावन किराना स्टोर, मेन बाजार, बहरावण्डा तहसील सिकराय जिला दौसा का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय दुकान पर विक्रेता श्री मुरारी लाल पुत्र श्री श्योदान सैनी उपस्थित मिला। विक्रेता ने स्वयं को उक्त दुकान का मालिक होना बताया। विक्रेता को अपना परिचय देकर एवं परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य पदार्थ लाईसेन्स दिखाने के लिये कहा तो उसने खाद्य पदार्थ लाईसेन्स न होना जाहिर किया। निरीक्षण के समय विक्रेता की दुकान पर एक रैक में 25 मूल पैक 500 ग्राम वजनी हल्दी पाउडर(शक्ति फ्रेश) आम जनता को बेचने हेतु रखे हुए थे। इसमें मिलावट का शक होने पर इनमें से नमूने की जॉच हेतु 4 मूल पैक खरीदे, जिनकी कीमत 300 रूपये नकद देकर बिल प्राप्त किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Khilari Meena
Date: 2022.08.26 16:20:21 IST
Reason: SelfAttested

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नमूने के लिये खरीदशुदा खाद्य नमूने हल्दी पाउडर **(शक्ति फ्रेश) के प्रत्येक पैकिट को अलग—अलग कर [illegible] के डिब्बे में रखकर लेबल तैयार कर लेबलों** पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान व एफ.बी.ओं. के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों को डिब्बों पर चिपकाकर डिब्बों को अलग—अलग एक खाकी कागज में लपेटकर डिब्बों पर डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा द्वारा जारी की गई हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लीप कोड एवं सीरियल नम्बर ए.जी.—2104 गोंद से

चिपकाकर डिब्बों को एक मोटे मजबूत सख्त धागे से बांधकर डिब्बों को चार–चार जगह से चपडी से सील मोहर कर डिब्बों पर एफबीओ(विक्रेता) व गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर चारो सील बन्द डिब्बों को अपने कब्जे में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नं. 5 ए की दो प्रतियां तैयार कर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर उसकी एक प्रति एफ.बी.ओ. विक्रेता को देकर उसकी रसीद फार्म नं. 5 ए पर प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे (विक्रेता) एफ.बी.ओ. व गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफ.बी.ओ. व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में आकर फार्म नं. 6 की छः प्रतियां तैयार कर **प्रत्येक पर नमूना छाप (सील इम्प्रेशन) लगाकर फार्म नं0 6 की एक प्रति व नमूने का एक सील बंद** डिब्बा एक आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर तथा फार्म नं0 6 की दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर नमूने का एक सील बंद डिब्बा व फार्म नं0 6 का सील बंद लिफाफा श्री **महादेव प्रसाद सैनी च.श्र.क. मुख्यालय द्वारा दिनांक 18.02.2019 को राज्य केन्द्रीय जनस्वास्थ्य** प्रयोगशाला जयपुर के यहां जमा करवाये। नमूने के दो सील बन्द डिब्बे व फार्म नं0 6 की दो प्रतियां एक आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 18.02.2019 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की तथा नमूने का चतुर्थ सीलबंद डिब्बा व फार्म नं0 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 19.02.2019 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

उक्त खाद्य पदार्थ हल्दी पाउडर(शक्ति फ्रेश) के नमूने की राज्य केन्द्रीय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./443/एक्ट/2019/256 दिनांक 6.3.2019 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ हल्दी पाउडर(शक्ति फ्रेश) का नमूना सबस्टैण्डर्ड पाया गया है।

न्याय निर्णय आवेदन पत्र खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्तगण की गई। अप्रार्थी अभियुक्त संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री दुर्गाप्रसाद सैनी उपस्थित आये एवं जवाब प्रस्तुत किया गया। अप्रार्थी संख्या 3 जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तामील करवाने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं हुआ, जिस पर एकतरफा कार्यवाही की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्त सं. 1 व 2 की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निवेदन किया कि राज्य केन्द्रीय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./443/एक्ट/2019/256 दिनांक 6.3.2019 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ हल्दी पाउडर(शक्ति फ्रेश) का जो नमूना लिया गया था। जॉच रिपोर्ट में उक्त खाद्य पदार्थ के नमूने में "**Test for added foreign starch**" की मात्रा पाई गई है जो कि नहीं पाई जानी चाहिये थी। इस वजह से खाद्य पदार्थ हल्दी पाउडर(शक्ति फ्रेश) का नमूना सबस्टैण्डर्ड पाया गया है। अप्रार्थी अभियुक्त ने सबस्टैण्डर्ड खाद्य पदार्थ हल्दी पाउडर(शक्ति फ्रेश) का विक्रय कर एफएसएसए 2006 की धारा 26(2)(II) का उल्लंघन किया है। **अतः अधिनियम की धारा 51** एफएसएसए 2006 में वर्णित प्रावधानों के तहत अप्रार्थी अभियुक्त को अधिक से अधिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Khiladi Meena
Date: 2022.08.26 18:20:21 IST
Reason: Self Attested

अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्त संख्या 1 व 2 द्वारा बहस के दौरान जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री महेन्द्र चतुर्वेदी द्वारा दिनांक 15.2.2019 को अभियुक्त संख्या 1 मैसर्सः– सावन किराना स्टोर, मेन बाजार, बहरावण्डा, तहसील सिकराय जिला दौसा से खाद्य पदार्थ हल्दी पाउडर(शक्ति फ्रेश) का नमूना लिया गया था। प्रार्थी अभियुक्त

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

संख्या 2 पैकिंग मैटेरियल का थोक विक्रेता एवं लाईसेन्सधारी है। अभियुक्त संख्या 2 ने दिनांक 22.12.2018 को गोयल मसाला उद्योग जी 1/17, रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया, खैरथल जिला अलवर से इनवॉयस संख्या जीएमयू–18–19–5345 के तहत उक्त हल्दी पाउडर 500 ग्राम के पैकिट 20 किलो खरीदा था। जिसके उसी स्थिति में दिनांक 10.1.2019 को इनवॉयस नम्बर 2969 से अभियुक्त संख्या 1 सावन किराना स्टोर बहरावण्डा को विक्रय कर दिया गया। अभियुक्त संख्या 1 द्वारा जिस स्थिति में माल खरीदा था। उसी स्थिति में विक्रय कर दिया गया। एफएसएसए की धारा 80(2)(डी)(1) में अभिनिर्धारित किया है कि ''उस व्यक्ति ने खाद्य का उसी स्थिति में विक्रय किया था जिस स्थिति में उसका क्रय किया था'' इस प्रावधान के अनुसार अभियुक्त संख्या 1 व 2 द्वारा कोई अपराध नही किया गया है। परिवादी ने विधि के प्रावधानो का सम्यक अध्ययन एवं अवलोकन किये बिना ही परिवाद पेश किया है। इसलिये अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध प्रस्तुत परिवाद में अभियुक्त संख्या 1 व 2 को दोषमुक्त किया जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा राज्य केन्द्रीय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./443/एक्ट/2019/256 दिनांक 6.3.2019 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ हल्दी पाउडर(शक्ति फ्रेश) का नमूना सबस्टैण्डर्ड पाया गया है। अप्रार्थी अभियुक्तगण ने उक्त सबस्टैण्डर्ड खाद्य पदार्थ हल्दी पाउडर(शक्ति फ्रेश) का आमजन को विक्रय कर आमजन के जीवन के साथ खिलवाड किया है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में सबस्टैण्डर्ड खाद्य पदार्थ विक्रय किये जाने पर जुर्माना निर्धारित किया हुआ है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्तगण द्वारा सबस्टैण्डर्ड खाद्य पदार्थ हल्दी पाउडर(शक्ति फ्रेश) का विक्रय किये जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2) (**II**) का उल्लंघन होने से अपराध कारित होने पर अप्रार्थी अभियुक्त संख्या 1 लगायत 3 पर 20,000/–(अक्षरे बीस हजार रूपये) शास्ति आरोपित की जाती है। अप्रार्थी अभियुक्तगण उक्त राशि निर्णय दिनांक 10.8.2022 के एक माह के अन्दर–अन्दर निर्धारित मद में जमा कराकर चालान की प्रति प्रस्तुत करे ।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 10.8.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(आर. के. मीना)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

क्रमांक/
दिनांकः– 8..2022

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज0 जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री मुरारी लाल पुत्र श्री श्योदान सैनी अग्रवाल
   एफबीओ मैसर्सः– सावन किराना स्टोर, मेन बाजार बहरावण्डा, तहसील सिकराय जिला दौसा।
4. श्रीमति अनिता सैनी पत्नि विनोद कुमार सैनी
   एफबीओ मैसर्सः–करमा ट्रेंडिंग कम्पनी, [illegible] आलकी का बास दौसा।
5. श्री रामप्रकाश गोयल पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण गोयल
   एफबीओ मैसर्सः– गोयल मसाला उद्योग, जी–1/17, रिको इण्डस्ट्रीयल एरिया, खैरथल जिला अलवर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Khilari Meena
Date: 2022.08.26 18:20:21 IST
Reason: SelfAttested

(आर. के. मीना)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा